सं. 25013/03/2019-स्था.क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 28 अगस्त, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- मूल नियम (एफआर) 56 (ञ)/(ठ) तथा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा।

उपर्युक्त विषय में संदर्भित मूल प्रावधानों/नियमों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकारी सेवकों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि किसी सरकारी सेवक को सेवा में रखा जाना चाहिए या लोकहित में उसे सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए। मौजूदा अनुदेशों में और बेहतर स्पष्टता लाने तथा उनका एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त विषय पर अब तक जारी किए गए दिशानिर्देशों की एक ही स्थान पर समीक्षा करने तथा इन्हें समेकित करने और दोहराने का एक प्रयास किया गया है।

2. मूल नियम (एफआर) 56 (ञ)/(ठ) और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 का उद्देश्य सभी स्तरों पर उत्तरदायी और कार्यकुशल प्रशासन विकसित करके प्रशासनिक कार्यतंत्र को मजबूत बनाना तथा सरकारी कार्यों के निपटान में कार्यकुशलता, किफायत और तेजी लाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन सरकारी सेवकों की समयपूर्व सेवानिवृत्ति कोई शास्ति नहीं है। यह 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' से भिन्न है, जो सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1965 के अधीन निर्धारित एक शास्ति है।

3. **मूल नियम एवं सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 में समयपूर्व सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रावधान**

3.1 समुचित प्राधिकारी के पास किसी सरकारी सेवक को एफआर 56 (ञ), एफआर 56 (ठ) अथवा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 को नियम 48 (1) (ख), जो भी मामला हो, के अधीन लोकहित में, यदि आवश्यक हो, सेवानिवृत्त करने का आत्यन्तिक अधिकार है।

3.2. **एफआर 56 (ञ) :-** समुचित प्राधिकारी को, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यन्तिक अधिकार होगा कि वह किसी भी सरकारी सेवक की, तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बजाय तीन मास का वेतन और भत्ते देकर:-

(i) यदि वह समूह 'क' तथा समूह 'ख' सेवा में अथवा अधिष्ठायी, स्थायीवत या अस्थायी हैसियत में पद पर हो और सरकारी सेवा में पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर लेने से पूर्व प्रविष्ट हुआ हो, तो पचास वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्;

(ii) किसी अन्य मामले में, पचपन वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात्।

3.3 **एफआर 56 (ठ) :-** खण्ड (ञ) में किसी बात के होते हुए भी, समुचित प्राधिकारी को, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा करना लोकहित में है, इस बात का आत्यन्तिक अधिकार होगा कि वह समूह ग सेवा या उस पद के सरकारी सेवक को, जो किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है, जब वह तीस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके उसे तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या ऐसी सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर, सेवा से निवृत्त कर दे।

3. 4 **सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 का नियम 48 (1) (ख):-** सरकारी सेवक के तीस (30) वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् किसी भी समय, नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उसे लोकहित में सेवानिवृत्त करना अपेक्षित हो सकता है तथा ऐसी सेवानिवृत्ति के मामले में वह सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होगा, बशर्ते कि नियोक्ता प्राधिकारी सरकारी सेवक को; उस तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व जब उसे लोकहित में सेवानिवृत्त किया जाना अपेक्षित हो, लिखित में नोटिस भी दे या ऐसे नोटिस के स्थान पर तीन माह का वेतन और भत्ते प्रदान करे।

4. **अनुपालन की जाने वाली समय-सीमाः-** सरकारी सेवकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित तालिका में दी गई समय-सीमा का अनुपालन किया जाएगाः-

वह तिमाही जिसमें समीक्षा की जानी है	**नीचे दर्शायी गई तिमाही में सरकारी सेवकों के मामलों की समीक्षा का जानी है**
जनवरी से मार्च	उसी वर्ष के जुलाई से सितंबर
अप्रैल से जून	उसी वर्ष के अक्तूबर से दिसम्बर
जुलाई से सितंबर	अगले वर्ष के जनवरी से मार्च
अक्तूबर से दिसंबर	अगले वर्ष के अप्रैल से जून

5. **रजिस्टर का रख-रखाव-** ऐसे सरकारी सेवक के संबंध में एक रजिस्टर का रख-रखाव किया जाना है जिन्होंने 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। प्रत्येक तिमाही की शुरूआत में मंत्रालय/विभाग/संवर्ग में एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस रजिस्टर की संवीक्षा की जानी चाहिए तथा उपर्युक्त समय-सीमा के अनुसार इसकी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सरकारी सेवकों के प्रतिधारण/समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए समीक्षा को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

6. सरकार, ऐसे किसी सरकारी सेवक जिसने 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जो भी मामला हो, को किसी भी समय लोक हित में समयपूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है। तथापि, कुछ प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण उपर्युक्त पैरा 4 में दर्शाई गई समय-सीमा का अनुपालन नहीं हो पाना एफआर 56 (ञ), एफआर 56 (ठ) अथवा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन किसी सरकारी सेवक को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने की समुचित प्राधिकारी की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः एफआर 56 (ञ) में शामिल मामलों में 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा एफआर 56 (ठ)/सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अधीन 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के पश्चात भी इन नियमों के उद्देश्यों से किसी सरकारी सेवक की समीक्षा की जा सकती है।

7. इसके साथ ही सरकार पर ऐसे किसी मामले की फिर से समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जहां पूर्व में किसी अधिकारी को प्रतिधारित करने का निर्णय लिया गया था किंतु समुचित/नियोक्ता प्राधिकारी की यह राय है कि परिवर्तित परिस्थितियों के कारण, लोक हित में फिर से समीक्षा करना समीचीन है। ऐसे मामलों में, समुचित प्राधिकारी से प्रकट हुए गुणावगुणों को दर्शाना अपेक्षित है क्योंकि उन सरकारी सेवकों को पूर्व में सेवा में प्रतिधारित करने के लिए प्रभावी पाया गया था।

8. **समीक्षा एवं अभ्यावेदन समिति की संरचना-**

8.1 संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) का संबंधित सचिव निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त स्तर पर दो सदस्यीय समीक्षा समिति का गठन करेगाः-

(i) समूह 'क' पद धारण करने वाले अधिकारियों के मामले में :-

संबंधित सीसीए का सचिव समीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। जहां पर सीबीडीटी, सीबीईसी, रेलवे बोर्ड, दूरसंचार आयोग आदि जैसे बोर्ड हैं, वहां समीक्षा समिति की अध्यक्षता ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(ii) **समूह ख (राजपत्रित) अधिकारियों के मामले:-**

अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी समीक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(iii) **अराजपत्रित अधिकारियों के मामले:-**

(क) संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी समिति की अध्यक्षता करेगा। तथापि, नियोक्ता अधिकारी की रैंक के संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे की रैंक होने के मामले में निदेशक/उप सचिव के स्तर का कोई अधिकारी अध्यक्ष होगा।

(ख) केंद्रीकृत संवर्गों से भिन्न संवर्गों में अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष/संगठन का अध्यक्ष समीक्षा समिति की संरचना का निर्धारण करेगा।

किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के मामले में अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणियां होने पर राजपत्रित अधिकारियों के मामले में, मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा अराजपत्रित अधिकारियों के मामले में उसका प्रतिनिधि संबद्ध होगा।

8.2 सभी सरकारी सेवकों के लिए अभ्यावेदन समिति की संरचना में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-

(क) मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नामित किया जाने वाला भारत सरकार का कोई सचिव;

(ख) मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव/संयुक्त सचिव; और

(ग) सीसीए द्वारा नामित एक सदस्य।

9. **आंतरिक समिति का गठन:-** उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीसीए के सचिव को आंतरिक समिति का गठन करने की शक्ति होगी जिसमें ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें समीक्षा समिति को सहायता करने के लिए उपयुक्त माना जाए। ऐसी समितियां यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी संगत सूचनाओं को प्रकट करने वाले सारांश के साथ समीक्षा किए जाने वाले सरकारी सेवकों के सेवा अभिलेख समीक्षा की निश्चित तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व संवर्ग प्राधिकारियों को सौंपी जाए।

10. **समीक्षा समिति द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक मानदंड:-** अनुशंसाएं करते समय समीक्षा समिति द्वारा अपनाए जाने वाले व्यापक मानदंड निम्न प्रकार से हैं:-

(i) ऐसे सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहपूर्ण है।

(ii) निष्प्रभावी पाए गए सरकारी सेवकों को भी सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ऐसे सरकारी सेवकों को चिन्हित करने में मूलभूत विचारणीय बिन्दु पद पर बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता/दक्षता होनी चाहिए।

(iii) किसी सरकारी सेवक को साधारणतया निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए, यदि किसी स्थिति में वह उसके मामले पर विचार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहा हो। तथापि, किसी ऐसे मामले में, जहां किसी सरकारी सेवक की दक्षता, कार्यकुशलता अथवा प्रभाविता में अचानक और अत्यधिक गिरावट आए तो वहां समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए ऐसे मामले की समीक्षा करने की स्वतंत्रता होगी। किसी सरकारी सेवक के कार्यनिष्पादन में अचानक और अत्यधिक गिरावट के मामले के सिवाय सरकारी सेवक को निष्प्रभाविता के आधार पर एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त न करने का उक्त अनुदेश केवल तब संगत है जब उसे निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव हो, और यह प्रावधान संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाने के प्रस्तावों पर लागू नहीं होगा।

(iv) किसी सरकारी सेवक को साधारणतया निष्प्रभाविता के आधार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए यदि पूर्ववर्ती 5 वर्षों के दौरान उसकी सेवा अथवा जहां उसे उन 5 वर्षों के दौरान किसी उच्च पद पर पदोन्नत किया गया और उस उच्च पद पर उसकी सेवा को संतोषप्रद पाया गया हो। तथापि, संदेहपूर्ण सत्यनिष्ठा के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले

सरकारी सेवक के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पदोन्नत किए गए सरकारी सेवकों के मामले में, यदि उसे वरिष्ठता सह- उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत किया गया था, न कि योग्यता के आधार पर, तो वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज की गई पिछली प्रविष्टियों पर विचार किया जाए।

(v) समीक्षा के समय किसी सरकारी सेवक के संपूर्ण सेवा अभिलेख पर विचार किया जाना चाहिए। 'सेवा अभिलेख' शब्द से सभी संगत अभिलेख संदर्भित हैं और इसलिए यह समीक्षा एसीआर/एपीएआर डोजियर पर विचार करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सरकारी सेवक की वैयक्तिक फाइल में उपयोगी सामग्री निहित हो सकती है। इसी प्रकार, उसके कार्य और कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी उसके द्वारा संभाली गई फाइलों अथवा उसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों अथवा अभिलेखों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। यह उपयोगी होगा यदि मंत्रालय/विभाग/संवर्ग सरकारी सेवक के विषय में उपलब्ध सभी आंकड़ों को एक साथ रखें और समीक्षा समिति द्वारा विचार करने हेतु व्यापक सारांश तैयार करें। एसीआर/एपीएआर में की गई असंप्रेषित टिप्पणियों पर विचार किया जा सकता है।

11. उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले

11.1 *भारत संघ एवं कर्नल जे. एन. सिन्हा के मामले (1571 एस सी आर (1) 791)* में दिए गए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने न केवल मूल नियम 56 (ञ) की वैधता को सही माना था बल्कि यह भी माना था कि किसी सरकारी सेवक को पूर्वोक्त प्रावधानों के अंतर्गत उसे जारी किए गए सेवानिवृत्त नोटिस से पूर्व कोई कारण-बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि-

"मूल नियम 56(जे) के अभिव्यक्त शब्दों की बात की जाए, तो यह उल्लेख करता है कि समुचित प्राधिकारी के पास किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त करने का आत्यन्तिक अधिकार है, यदि उसकी राय में ऐसा करना लोकहित में है। समुचित प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकार आत्यन्तिक प्रकृति का है। इस शक्ति का प्रयोग नियम में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है जिनमें से एक शर्त यह है कि समुचित प्राधिकारी की राय में ऐसा करना लोकहित में है। यदि वह प्राधिकारी सदाशय पूर्वक ऐसी राय का निर्धारण करता है, तो उस राय की सत्यता को न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। पीड़ित पक्ष को यह दावा करने की स्वतंत्रता है कि आवश्यक राय का निर्धारण नहीं किया गया है अथवा निर्णय संपार्श्विक आधारों पर आधारित है अथवा यह मनमाना निर्णय है।"

11.2 गुजरात राज्य बनाम उमेद भाई के मामले 2001(3) एसीसी 314 में माननीय न्यायालय ने यह माना है कि-

"अनिवार्य सेवानिवृति से **सम्बन्धित** कानून अब निश्चित सिद्धांतों के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसे व्यापक रूप से निम्न प्रकार से सारांश रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) जब कभी किसी सरकारी सेवक की सेवाएं सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी नहीं रह जाती हैं तो ऐसे अधिकारी को लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
(ii) सामान्यतः, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 311 के अंदर आने वाले दंड के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए।
(iii) बेहतर प्रबंधन के लिए, यह आवश्यक है कि निष्प्रभावी लोगों को हटाया जाए, परंतु अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अधिकारी की संपूर्ण सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखने के पश्चात् पारित किया जाए।
(iv) गोपनीय रिकॉर्ड में की गई किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी का संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे आदेश पारित करते समय उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा।
(v) यहां तक कि गोपनीय रिकॉर्ड में की गई असंप्रेषित प्रविष्टियों पर भी विचार किया जाएगा।
(vi) विभागीय जांच से बचने हेतु शॉर्टकट के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब ऐसी जांच प्रक्रिया ज्यादा वांछनीय हो।

(vii) अगर गोपनीय रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी देने के बावजूद भी, यदि अधिकारी को पदोन्नति दी जाती है, तो यह तथ्य अधिकारी के पक्ष में है।

(viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति को दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं लगाया जाएगा। "

12. सरकारी सेवक की सत्यनिष्ठा और अनुचित आचरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां

12.1 जहां तक सत्यनिष्ठा का संबंध है, एस. रामचंद्र राजू बनाम उड़ीसा राज्य {(1994) 3 एसीसी 424} के मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति को मान्य ठहराते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए:-

"अधिकारी उसके बारे में बनी प्रतिष्ठा पर जीता है। किसी उपयुक्त मामले में, हो सकता है कि सेवा से हटाने संबंधी दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत न हो। परंतु अगर उसका आचरण और छवि इस प्रकार है कि उसका सेवा में बना रहना लोक सेवा के लिए खतरा है और लोकहित के लिए हानिकारक है। रख-रखाव किए गए संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड अथवा चरित्र संबंधी दस्तावेज अथवा गोपनीय रिपोर्टें सरकार द्वारा अथवा समीक्षा समिति अथवा उपयुक्त प्राधिकारी के विचारार्थ हेतु पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में प्रस्तुत करेगा। केवल सारे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही, सरकार को यह राय बनानी पड़ेगी कि सरकारी अधिकारी को सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की जरूरत है। अतः संपूर्ण रिकॉर्ड विशेष रूप से हालिया रिकॉर्ड राय का आधार बनेंगे और संबद्ध नियम के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए सरकारी अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए आधार प्रदान करेंगे। "

12.2 किसी कर्मचारी की सत्यनिष्ठा के पहलू पर विचार करते समय, रिकॉर्ड पर मौजूद उन सभी सामग्री जिसमें कर्मचारी द्वारा की गई कार्रवाई अथवा लिए गए निर्णय शामिल है, जो कि निष्कपट प्रतीत नहीं होते हो, उसके विरूद्ध प्राप्त हुई शिकायतों अथवा संदेहास्पद संपत्ति की खरीद-फरोख्त जिस के संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त सबूत ना हो, को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। के. कांडास्वामी बनाम भारत संघ बनाम अन्य 1996 एआईआर 277, 1995 एससीसी (6) 162 के मामले में शीर्ष न्यायालय का निर्णय यहां सुसंगत है। इस मामले में, शीर्ष न्यायालय ने सरकार के निर्णय को बनाए रखा तथा यह कहा कि:-

> "अधिकार चाहे संवैधानिक हो या सांविधिक उसके साथ लोक सेवा के प्रति कुशलता सत्य निष्ठा और समर्पण बनाए रखने का स्वभाविक कर्तव्य भी है। दुर्भाग्यवश दूसरे भाग की उपेक्षा और अनदेखी की जाती है जबकि पहले पर अत्यधिक बल दिया जाता है। उचित सरकार अथवा प्राधिकारी को अतः प्रत्येक मामले में तथ्यों व समुचित परिस्थितियों को पूर्ण रुप से ध्यान रखने की जरूरत होगी और वह यह मत बनाएगी कि क्या सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लोक हित में है। यह मत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित होना चाहिए अन्यथा इसे मनमाना अथवा शक्तियों का दुरूपयोग माना जाएगा।

12.3 ठीक उसी प्रकार सरकारी कर्मचारी के अनुचित व्यवहार संबंधी रिपोर्ट भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार बन सकती है। वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य बनाम विजय कुमार जैन अपील (सिविल) 2083 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार

> "अगर सरकारी कर्मचारी का आचरण सार्वजनिक हित में अनुचित हो जाता है अथवा लोक सेवा दक्षता में व्यवधान डालता है तो सरकार के पास लोक हित में ऐसे किसी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आत्यंतिक अधिकार है।

13. **समुचित/नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन:-** उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की गई है वहां समीक्षा समिति की सिफारिशों को समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के विचारार्थ और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **समय पूर्व सेवानिवृत्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन:-** समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश जारी होने के पश्चात, संबंधित सरकारी सेवक ऐसे नोटिस आदेश के प्राप्त होने के 3 सप्ताह के भीतर आदेश को बदलने के लिए अभ्यावेदन दे सकता है और मामले को अभ्यावेदन के साथ, यदि कोई हो, अभ्यावेदन समिति के समक्ष रखा जा सकता है। संवर्ग प्राधिकरण द्वारा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन की जांच शुरू की जाएगी। अभ्यावेदन पर विचार करने वाली अभ्यावेदन समिति

संबंधित संवर्ग प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी और समुचित/नयुक्ति प्राधिकारी अभ्यावेदन समिति की सिफारिश प्राप्त होने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर अपने आदेश जारी करेगी।

15. जहां तक उन प्रावधानों का संबंध है जो कि इस कार्यालय ज्ञापन में शामिल नहीं किए गए हैं वहां पूर्व कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान लागू होंगे।

16. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन के निदेशों का सख्ती से पालन किया जाए और सभी संबंधितों के बीच इसका व्यापक प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

(सूर्य ना.) 28.8.20

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं.: 23040341

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबंधित अधिकारी।